भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3798
जिसका उत्तर मंगलवार 09 अगस्त, 2016 को दिया जाना है

**पूंजी सामान क्षेत्र की वृद्धि**

**3798. श्री पी. आर. सेनथिलनाथन:**
**श्रीमती वी. सत्यबामा:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में औद्योगिक स्थलों के विकास और पूंजी सामान क्षेत्र की वृद्धि के लिए क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या वाणिज्य और उद्योग समिति ने पूंजी सामान क्षेत्र की वृद्धि में कमी के प्रति चिंता जताई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मुद्दे के शीघ्र समाधान और भारत को सतत औद्योगिक वृद्धि मार्ग पर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री**
**(श्री बाबुल सुप्रियो)**

**(क):** "भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि" की स्कीम 05.09.2014 को अधिसूचित की गई है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास को सुदृढ़ करते हुए, साझा विनिर्माणकारी अवसंरचना उपलब्ध कराते हुए और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता देते हुए भारतीय केपिटल गुड्स उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस स्कीम में ₹581.22 करोड़ की सरकारी बजटीय सहायता और उद्योग की ओर से ₹349.74 करोड़ के अंशदान की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम में प्रौद्योगिकी विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई), एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधा केन्द्र, साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्र तथा परीक्षण और प्रमाणन केन्द्र की स्थापना जैसे अवसंरचनात्मक उपायों के संघटक शामिल हैं। इस स्कीम में प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय उपाय का संघटक भी शामिल है। इन उपायों के फलस्वरूप केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रौद्योगिकी में क्षमता वृद्धि होगी। स्कीम से संबंधित विस्तृत सूचना भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति मंत्रिमंडल द्वारा 25.05.2016 को अनुमोदित की गई है। यह नीति संबंधित मंत्रालयों/विभागों, उद्योग, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रयोक्ता सेक्टरों के साथ गहन विचार-विमर्श के पश्चात् तैयार की गई है। इस नीति में उत्पादन में वृद्धि, केपिटल गुड्स का निवल

निर्यातक बनने के लिए निर्यात में बढ़ोतरी और प्रौद्योगिकी में उन्नत स्तर तक सुधार करते हुए भारत को विश्व के केपिटल गुड्स के शीर्ष उत्पादक राष्ट्रों की श्रेणी में लाने की परिकल्पना की गई है। इस नीति में भारत में निर्मित केपिटल गुड्स का निर्यात बढ़ाने, प्रौद्योगिकी गहनता में वृद्धि, केपिटल गुड्स सेक्टर में कौशल विकास, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने तथा क्लस्टर अप्रोच और अनिवार्य मानकीकरण के जरिए उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिए उपाय सुझाए गए हैं। नीति की सॉफ्ट कॉपी भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

**(ख) से (घ):** संदर्भित समिति से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, उद्योग पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विनिर्माण और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निराशाजनक आंकड़ों के संबंध में चिंता व्यक्त की है। प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित स्कीम के अलावा, केपिटल गुड्स नीति में घरेलू केपिटल गुड्स सेक्टर के विकास और वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग उपायों की परिकल्पना की गई है।

********